



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं0 पटना 172) पटना, वृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

28 फरवरी 2024

सं० 3/एम0-22/2023सा0प्र0 3456—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत गृह विभाग के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है—

क्र०सं०	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद
1.	गृह विभाग (अपराध अनुसंधान विभाग)	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के— (i) उच्चवर्गीय लिपिक; (ii) निम्नवर्गीय लिपिक; (iii) चालक; अंगुलांक ब्यूरो के— (i) सहायक राजकीय अंगुलांक परीक्षक। पुलिस प्रयोगशाला के— (i) सहायक राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 172-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>